

झारखण्ड सरकार  
योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,  
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 22/01/2020

विषय : स्कीम तथा स्थापना व्यय मदों में किये गये उपबंध के विरुद्ध प्रत्यर्पण  
31.01.2020 तक Online उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्ति की ओर है। इस वर्ष के बजट में आपके विभाग से संबन्धित वैसी उपबंधित राशि, जिसका व्यय दिनांक 31.03.2020 तक सम्भव नहीं है, का Online प्रत्यर्पण दिनांक 31.01.2020 के अपराह्न 06.00 बजे तक करना सुनिश्चित करें। प्रत्यर्पण के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग का पत्रांक 271/बजट, दिनांक 11.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) का भी संदर्भ लिया जाए।


प्रत्यर्पण के लिए संचिका में योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी।

प्रत्यर्पण सुविधा website <https://jkuber.gov.in/budgetjhr> → budget → Final Surrender or <https://10.92.194.10/budgetjhr> पर उपलब्ध है।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।


अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।


ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-10/2017-18/...32...../बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।


ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-10/2017-18/...32.../बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।


ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-10/2017-18/...32.../बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : बजट शाखा, योजना-सह-वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।


ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-10/2017-18/...32.../बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-10/2017-18/...32.../बजट, राँची, दिनांक : 22/01/2020

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(हिमानी पाण्डे)  
सचिव (संसाधन)।

झारखण्ड सरकार  
योजना सह वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

राँची, दिनांक : 11/07/2019

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,  
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
झारखण्ड, राँची।


विषय : विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह स्वभाविक है कि बजट में प्रावधानित राशि की आवश्यकता नहीं रहने पर विभागों द्वारा राशियाँ प्रत्यर्पित की जाती हैं। राशि प्रत्यर्पण की यह प्रक्रिया वर्षवार चलती रहती है। महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ हुए Entry Conference में यह बात उभर कर सामने आयी कि एक ओर विभाग बजट में प्रावधानित राशि का प्रत्यर्पण तो कर देते हैं और पूनः उसी प्रत्यर्पित राशि का व्यय भी कर देते हैं। परिणामतः ऐसे मामले अंततः अधिकाय व्यय के (excess payment) के बन जाते हैं।


अतः अनुरोध है कि विभाग पहले सुनिश्चित हो लें कि जिस राशि का प्रत्यर्पण किया जा रहा है, उसमें आवंटन नहीं दिया गया है। यदि राशि आवंटित है तो पहले आवंटन वापस (revoke) लेकर ही राशि का प्रत्यर्पण करें। विभाग द्वारा किया जाने वाले प्रत्यर्पण अन्तिम माने जाएंगे।

विश्वासभाजन,

  
(सतेन्द्र सिंह)  
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-02/2019-20/271/बजट, राँची, दिनांक : 11/07/2019

प्रतिलिपि : नोडल प्रदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(सतेन्द्र सिंह)  
सचिव (व्यय)।